0/c

IFCI
LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

(SPEED POST)

No. IFCI/RTI/1069/2022 - 220726007 Dated: 26/07/2022

सेवा में,

महोदया,

विषय: आरटीआई आवेदन दिनांक 20/07/2022- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना।

कृपया अपने दिनांकित आरटीआई आवेदन दिनांक 20/07/2022 का संदर्भ लें।

2. प्रश्न संख्या 1-4 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्तमान आवेदन में उठाए गए प्रश्नों की प्रकृति से पता चलता है कि उक्त प्रश्नों के संबंध में जानकारी आईएफसीआई से संबंधित नहीं है। आप जानकारी प्राप्त करने के लिए सही लोक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि आईएफसीआई के पास उस सार्वजनिक प्राधिकरण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके पास आपके द्वारा मांगी गई जानकारी होगी, हम आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार आपके आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने में असमर्थ हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि आईएफ़सीआई लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी हैं। आईएफ़सीआई लिमिटेड ने पूरे देश में बाजार की विभिन्न प्रतिष्ठित मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे स्टॉक एक्सचेंजों, उद्यमीयता विकास संगठनों, परामर्शकारी संगठनों, शैक्षिक तथा कौशल विकास संस्थानों की स्थापना के लिए निर्णायक भूमिका निभाई है ।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देने तथा इन उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने हेतु आईएफसीआई के पास 200 करोड़ रुपए की निधि रखी है । आईएफसीआई ने भी अग्रणी निवेशक तथा निधि के प्रायोजक के रूप में 50 करोड़ रुपए की राशि का योगदान किया है । आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि., आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कम्पनी, इस निधि की निवेश प्रबन्धक है । यह निधि वित्तीय वर्ष 2014-15 से परिचालित है और आईवीसीएफ इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है ।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2015 में आईएफसीआई को "अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए ऋण वद्धि गारंटी योजना" के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् बैंकों की मार्फत ऋण वृद्धि गारंटी से वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देना है ।

3. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील करने के लिए निम्नानुसार है:

श्रीमती सपना जैन, डीजीएम (एल), प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, आईएफसीआई लिमिटेड, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019

वरिंदर मलिक

(वरिंदर मलिक)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई.लि.

आई एफ सी आई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
दूरभाषः +91-11-4173 2000, 4179 2800
फैक्सः +91-11-2623 0201, 2648 8471
वेबसाइटः www.ifciltd.com
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677

1948 से राष्ट्र के विकास में

IFCI Limited
Regd. Office:
IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110 019
Phone: +91-4173 2000, 4179 2800
Fax: +91-11-2623 0201, 2648 8471
Website: www.ifciltd.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

In Development of the Nation since 1948